न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/3705/2005/नागौर

1. भंवरलाल पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी दियावडी तहसील व जिला नागौर

–अपीलार्थी

बनाम

1. गोविन्द राम
2. रामेश्वर
3. रामनिवास
4. घेवर पुत्रगण मिश्रीलाल
5. सायरी पत्नी मिश्रीलाल
6. गुलाबचन्द पुत्र रामप्रताप
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी दियावडी तहसील व जिला नागौर
7. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राकेश कुमार जयसवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 5

निर्णय

दिनांक 07.06.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–12–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सर्वप्रथम निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–04–2003 से अपील के रूप में मानकर खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के आदेश पारित किये।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश, नागौर के न्यायालय में एक वाद बाबत् बंटवाडा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी का प्रतिवादीगण अपीलार्थी व शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 12बीघा 05बिस्वा का वादी अकेले के बट व कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या–2 व 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से वादपत्र में अंकित कथनों को स्वीकार करते हुए वादी के चाहे अनुसार डिक्री करने का कथन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच विवाद्यक कायम किये। उक्त वाद के विचाराधीन रहते आदेश दिनांक 30–11–1983 से प्रतिवादी संख्या–1 मिश्रीलाल को वादी संख्या–2 के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 08–05–1989 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कराने हेतु प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र

प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–11–1991 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इन निर्णयों व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–12–2000 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी वादीगण गोविन्दराम अथवा मिश्रीलाल की कब्जे काश्त की कभी नहीं रही है तथा विवादित आराजी गोपीकिशन की थी, गोपी किशन द्वारा यह भूमि अपीलार्थी भंवरलाल को दे दी थी एवं बहुत लम्बे समय से अपीलार्थी उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त चल आ रहा है। उनका कथन है कि गोपीकिशन ने मिश्रीलाल को गोद लिया, इससे पहले ही गोपीकिशन द्वारा विवादित आराजी 93/–रूपये में प्रतिवादी अपीलार्थी भंवरलाल को विक्रय कर दी। तब से विवादित आराजी पर उनका पक्षकार काबिज काश्त चल आ रहा है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कराने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि

कारित की है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष नियुक्त अधिवक्ता की अनुपस्थिति का दण्ड अपीलार्थी को नहीं दिया जाना चाहिए तथा उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता जब राज्य सेवा में नियुक्त हो गया तो न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचित सूचित करना चाहिए था किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर वादीगण प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे अथवा प्रकरण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी गोपीकिशन की खातेदारी की भूमि थी, गोपीकिशन ने मिश्रीलाल को गोद लिया तथा वादी गोविन्दराम मिश्रीलाल का पुत्र होने से विवादित पैत्रिक भूमि में अपना हक व स्वत्व रखता है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का गोपीकिशन द्वारा कभी बैचान हीं किया गया। अपीलार्थी ने सरपंच से मिलकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी

एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय से वादी का वाद डिक्री किया गया। उनका कथन है कि एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एव ंविश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश, नागौर के न्यायालय में एक वाद प्रतिवादीगण अपीलार्थी व शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 12बीघा 05बिस्वा का वादी अकेले के बट व कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या–2 व 3 ने दिनांक 01–10–1975 को जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से वादपत्र में अंकित कथनों को स्वीकार करते हुए वादी के चाहे अनुसार डिक्री करने का कथन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच विवाद्यक कायम किये। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय

दिनांक 08–05–1989 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में लिखी गयी आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु उसके द्वारा बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाने पर उसके विरूद्ध आदेश दिनांक 30–09–196 से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–05–1990 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–1991 से खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में लम्बे समय तक प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकने के पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख नहीं किये जाने के आधार पर प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक प्रकरण के गुणवगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावे में विवादित आराजी गोपीकिशन से क्रय किये जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि जवाबदावे में गोपीकिशन द्वारा विवादित आराजी हमेशा हमेशा 20 वर्ष पूर्व काश्त करने के लिए दिये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष उठाये गये समस्त बिन्दूओं पर विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(राकेश कुमार जयसवाल)
सदस्य